भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2887

दिनांक 21.03.2022 को उत्तर के लिए

उद्योगों से होने वाला प्रदूषण

2887. श्री सौमित्र खान :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किसी मशीन या टावर के निर्माण की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक पश्चिम बंगाल में भेषज उद्योगों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर लगाई गई शास्ति/एकत्रित की गई शास्ति की राशि सहित क्या कार्रवाई की गई है और अब तक बंद किए गए ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या भूमिका है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की सूची-I 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन अथवा निर्वहन के लिए मानक' के अधीन उद्योग विशिष्ट उत्सर्जन अथवा निर्वहन मानकों को अधिसूचित करता है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। अब तक, 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों को अधिसूचित किया गया है।

एसपीसीबी/पीसीसी जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण), 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने की सहमति/संचालित करने की सहमति और प्राधिकार को जारी करते हैं। एसीपीसीसी/पीसीसी सहमति की शर्तों और अन्य संचालन संबंधी गतिविधियों के अनुपालन की निगरानी करते हैं।

स्व-विनियामक प्रक्रिया के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया और प्रभावी अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए, संधारणीय बहि:स्राव/उत्सर्जन/निगरानी प्रणालियों को स्थापित करने हेतु अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों, गंगा बेसिन के अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों (जीपीआई), सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी), जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों और सामान्य खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों प्रदूषकों को वातावरण में छोड़े जाने पर भी सतत निगरानी रखने हेतु सभी 17 श्रेणियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योगों को इनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया है, 254 औद्योगिक क्षेत्रों को लाल (61), नारंगी (90), हरी (65) और सफेद (38) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किसी मशीन या टावर के निर्माण की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार पहले ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को शुरु कर चुकी है जिसको देश में मानकों को प्राप्त न करने वाले 132 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में भेषज (फार्मास्युटिकल) उद्योगों के विरुद्ध केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पश्चिम बंगाल प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूपीसीबी) में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी जल (प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 इत्यादि के तहत विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करता है। सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियां चिन्हित की हैं और वर्ष 2016-17 से ऑनलाइन निरंतर बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) से कंप्यूटर जनित चेतावनियों पर आधारित इन उद्योगों के निरीक्षण को कार्यान्वित कर रहा है। ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों से उत्पन्न शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) चेतावनियों के आधार पर निरीक्षण के लिए उद्योगों चुना जाता है और चूककर्त्ता उद्योगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

*****